

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	500	180
2	INFORMATION TECHNOLOGY	90	90
3	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
4	CIVIL ENGINEERING	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/0/2022 टी०बी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों को जहाँ के बिस्व मलनीय न्यायालय में वैश्विक सत्र 2022/23 में मलनीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) यदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982, विनियमनाली-2020, सेमेस्टर विनियमनाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निष्पन्न समिति द्वारा निर्धारित कुल ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कुल के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रत्यक्ष होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की अधिकतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता कुलक जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/निर्णय/अविनिर्णय/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये निर्णयों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के बिस्व परदे कोई काद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए सम्बंधित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ़ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सम्प्रदाय पर निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना बंधनकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रारंभिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐजेंडसिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सख्त-सख्त, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुक्त, संज्ञासूचक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साठवरण उपलब्ध बनाने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्निचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के जीवक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सख्त-सख्त एडमिनिस्ट्रेटिवीव/पैरामेट्रिक/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु0सं0- शासिका/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक LLOYD COLLEGE OF ENGINEERING



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

## कार्यालय

### सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राथिपपरिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संज्ञक:- दिनांक:- 30/08/2022

### कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी कार्यालय ऑफ इन्डियन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी सारणी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अवेदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघटिता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मती पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सत्र 2022-23 हेतु संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	INFORMATION TECHNOLOGY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1962, विनियमवर्ती-2000, सेक्टर इन्फिन्सिवर्ती-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनवर्ती का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इवीए पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवर्ती प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्विचारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवेदिता शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनवर्ती के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधिमो-अधिनियमों/शासनवर्ती/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तीय रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदिका कालमिनिमि प्रवेश होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (कडमिनिमि) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/वर्षीय प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर सेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के ओपन स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामन-सम्पदा एच-आई/सीटीआई/पीटीआई/आईआईटी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनप्रक संभालाही की जायेगी।



(एच०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2022/7811-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान-

एचनआई/निदेशक ,LLOYD COLLEGE OF ENGINEERING



(एच०आर० खान)

सचिव

**कार्यवाही**

**शैक्षिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्रशिक्षण/परिषद/सम्बद्धता/2021/13537

संख्या- दिनांक- 09/08/2021

**अनुमोदन पत्र**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय अल्पसंख्यक शैक्षिक, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु किम्बोला इन्टरमीडियेट शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त शैक्षिक शिक्षा परिषद, 3090 सम्बद्धता सम्बद्धता विनियम प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यवाही से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विनियम: पाठ्यक्रम: प्रवेश सामग्री वृत्ति सहित अन्य सभी प्राविधिक बरतों हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विनियम प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे सार्व निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को शैक्षिक शिक्षा परिषद, 3090 सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु किम्बोला शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता विनियम प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1074-LLOYD COLLEGE OF ENGINEERING PLOT NO-3,KNOWLEDE PARK II,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDH NAGAR-201308(OLD NAME : SKYLINE INSTITUTE OF ENGINEERING PLOT NO-3,KNOWLEDE PARK II,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDH NAGAR-201308)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पठ्यक्रम/सर्वोपरोक्त/सर्वोपरोक्त/सर्वोपरोक्त द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	INFORMATION TECHNOLOGY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/ए0एन0डी0आइ0टी0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शैक्षिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा शैक्षिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, गेजेटेड विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- इतिहास, दो वर्षीय कॉमर्सी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- इतिहास एवं एक तरह दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कॉमर्सी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- इतिहास शुल्क ही कॉलेज छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त में अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-शासन का शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश पढाये जायेंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा वृत्ति सत्र 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो वीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3090 शैक्षिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/ए0एन0डी0आइ0टी0 में आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आश्चर्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बरतों गयी विनियमवली/अतिरिक्त/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, शैक्षिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा शैक्षिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बरतों गयी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के निवेद बाध्य होगी।
- ✓

किरायेवा इत कार्यालयी पाठ्यक्रम की संरचना यदि वे ही,अर्था, उन्हें किराये से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तब इस संघ में उपरोक्त उल्लेखित संघ का होना और विधिक रूप से किराये की कार्यवाही के लिए संस्था अपने उल्लेखनी होगी। यह विधिक मिला परिषद, अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद, अधिविधिक शिक्षा विभाग/संघ एवं अधिविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़ें बंधु द्वारा किया जाता है तथा द्वारा बंधु के संघ में सा. उपायानाम द्वारा किराये प्रस्ता की प्रतिपूर्ति सम्बंधे अंदाज निर्गत किया जाता है तब प्रस्ता प्रतिपूर्ति सम्बंधित संस्था को बनाने होगी।

- ✓ किरायेवा इत कार्यालयी पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्थाओं को अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश बंधु के लिए अनुमोदन प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयी प्राप्त होने के पूर्व पीठ/सी/आई/सी से अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यलय को उपस्था कराता होगा प्रस्तावा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयी) के उपस्था से अलग संस्था तथा पर हीये प्रवेश) अनुमोदन नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश जारीकरण आदेश दिवसों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, पदांक, सहायक, उपस्था, प्रस्ता किया जाते बाल शुभक, साहायक शुभक आदि का विवरण उपस्था कराता होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-विकास हेतु अनुमोदन व्यवस्था उपस्था करने के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में कार्यरत संघर्षित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्था कराते सके अधिसूचना, भूमि-सहाय, फर्निचर, उपस्थावा इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किराये अलग पाठ्यक्रम के संस्था में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपस्थावा का प्रवेश किराये अंदाज करने के लिए कर रही है तब संस्था संस्था की सम्बन्धित समस्त किराये वाले की अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ संस्था के उपायानाम विवेकानंद टीएम यदि संस्था में भूमि, सहाय, फर्निचर, उपस्थावा एवं अन्य सहाय-सहाय ए/आई/सी/आई/सी/पीठ/सी/आई/परिषद के अनुमोदन/उपस्था उपस्था नहीं प्राप्त करता है तब संस्था की सम्बन्धित समस्त का टी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित वाली का अनुमोदन न किराये वाले अंदाज करने का उपस्था किराये वाले की विधि में निरस्तानुसार अनुमोदन/उपस्था कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव

पृष्ठ-0-वर्तिपरिषद 888888202/2530-809

दिनांक: 09/08/2021

वर्तिपरिषद:-

पता/कार्यालय/पिठक: LLOYD COLLEGE OF ENGINEERING PLOT NO-3,KNOWLEDE PARK II,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDH NAGAR-201308(OLD NAME : SKYLINE INSTITUTE OF ENGINEERING PLOT NO-3,KNOWLEDE PARK II,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDH NAGAR-201308)

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव